



कार्यालय अधिकारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:-eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक— 167 / 1 सी० (वन)

दिनांक 30/01/2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः—

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग—नौटी—पैठाणी मोटर मार्ग से कोली—भटोली तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.600 हेतु 0 सिविल/वन पंचायत भूमि का लोनिविंगो को हस्तान्तरण।

सन्दर्भः—

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून का ई०एस० FP/UK/ROAD/ 42515/2019 दिनांक 16.1.2020


महोदयः

उपरोक्त विषय संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि कर्णप्रयाग—नौटी—पैठाणी मोटर मार्ग से कोली—भटोली तक मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव पर लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर आख्या निम्नवत् हैः—

क०स०	प्रश्न	उत्तर
1	NPV calculation sheet has not been uploaded as additional information in Form A, part II at para 13.	NPV calculation sheet फार्म A में Additional information Details में NPV calculation certificate as per Hon'ble Supreme court /MoEF orders by DFO (pdf file) के नाम से अपलोड किया गया है एवं पार्ट-II में अपलोड का कार्य आपके स्तर से किया जाना है।
2	Brief note on vulnerability of the forest area to erosion has been wrongly filled at para-6 in Form A, part II. Please filled correct detail in it.	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
3	Name of road has not been mention in administrative approval certificate as additional information in Form A, part I.	परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश additional information in Form A, part I में Administrative and Financial sanction (pdf file) नाम से अपलोड किया गया है। संलग्न1— स्वीकृति का शासनादेश (पैज नं० 1-2)
4	Please show alternate alignment detail in KML file as well as GPS and Toposheet map at section C (iii, iv) in Form A, part I.	Form A के Part-I के section D (iii, iv) में KML file में alternate alignment नीली रेखा से दर्शा कर आनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
5	Original copy of the request document (As per the points mentioned above) may be submitted.	Original copy समस्त अभिलेखों सहित आपके पत्रांक संख्या 2319 / 12-1 दिनांक 31.12.2019 के द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को प्रेषित की जा चुकी है। संलग्न 2— प्राप्ति रसीद की छायाप्रति (पैज 3)
6	User agency may upload/provide present status of the villages to be benefited in the uploaded KML file in Form A, Part I.	लाभान्वित होने वाले ग्रामों को केंद्रीय फाइल में दर्शा कर निर्धारित कॉलम में अपलोड कर दिया गया है।

संलग्न— उपरोक्तानुसार।

भवदीय
आधिकारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोनिविंगो
गौचर (चमोली)
30.1.2020 30.1.2020



हेतु भूमि अधिग्रहण-00 -24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix) स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2017 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सङ्कर योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सङ्कर योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति रद्द: निरस्त समझी जायेगी।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं-022-लेखार्थीषक-5054 सङ्कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सङ्कों-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-659(A) / XXVII(2)/2016 दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीप
(एस०एस० टोलिया)
संयुक्त सचिव

संख्या— / 111(2) / 16-40(प्राइवेट) / 2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायबही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माझरा देहरादून।
2. जिलाधिकारी, चमोली।
3. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, पौडी गढवाल।
4. सम्बान्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
7. अधीक्षण अभियन्ता, ज्ञातवां वृत्त लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।
8. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाइ खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर।

आज्ञा से,
(एस०एस० पांगती)
उप सचिव

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Phone / Fax No-01372252149

Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांक:-

/ 12-1 गोपेश्वर,

दिनांक ३१-१२ 2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
देहरादून।

विषय :-

- 1- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग नौटी- पैठाणी मोटर मार्ग से ग्राम देवलगड़सारी तक मोटर मार्ग का निर्माण।
- 2- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग नौटी- पैठाणी मोटर मार्ग से ग्राम कोली भटोली मोटर मार्ग का निर्माण।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत करना है कि अधिशासी अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड गौचर द्वारा उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की 03-03 प्रतियाँ इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है। जिसे 03 प्रतियाँ में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो०नि०वि० के प्रतिनिधि के माध्यम से प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,

(अमित कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या २३१९ /१२-१ दिनांकित

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० गौचर को इस आशय से प्रेषित कि अपने प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्ताव की प्रतियाँ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(अमित कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।



मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय
वन विभाग, देहरादून।

